कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दतिया (म0प्र0)

संक्षिप्त निविदा विज्ञप्ति क्रमांक– 03 /2011–12

क्रमांक........2074..../ ग्रा.यां.से./ वलेलि./ 2011 दतिया दिनांक 29.11.11

–– :: 00 :: ––

म.प्र. के राज्यपाल की ओर से निम्नांकित कार्य हेतु मोहरबंद निविदा केंन्द्रीय कृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सिविल , सेनेटरी फिटिंग एवं वाटर सप्लाई कार्य हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दिनांक 12.04.2010 से प्रभावशील दर अनुसूची , आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01.04.2008 से लागू दर अनुसूची एवं टयूबवेल खनन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की दर अनुसूची दिनांक 25.07.2008 से प्रभावशील एवं उपरोक्त सभी दर अनुसूंचियां निविदा विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक तक अद्यतन संशोधित के आधार पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दतिया के कार्यालय में दिनांक 30.12.2011 को दोपहर 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । प्राप्त निविदायें उसी दिन दोपहर 04:00 बजे खोली जावेंगी । निविदा की विस्तृत शर्ते एवं कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 29.12.2011 तक कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दतिया के कार्यालय में प्राप्त किये जा सकते है।

क्र.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	जिला	अनुमानित लागत (रू. लाख में)	अमानत राशि रू. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. में	समयावधि	निविदा का आमंत्रण	ठेकेदार की श्रेणी
1	सामुदायिक भवन सहप्रशिक्षण केन्द्र रामनगर दतिया	दतिया	दतिया	43.00 लाख	.050 लाख	5000.00	18 माह	प्रथम	सी–श्रेणी एवं ऊपर

निविदा की शर्तें:–

1– डाक द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु 50 रूपये अतिरिक्त शुल्क अथवा वास्तविक डाक व्यय जो भी अधिक होगा देय करना होगा। अपूर्ण अथवा विलंब से प्राप्त निविदा प्रपत्र हेतु कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।

2– सशर्त एवं कटी फटी निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

3– निविदा क्रय करते समय पंजीयन की सत्यापित प्रति, पेन, टिन नंबर एवं वाणिज्यकर विभाग का चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4– निविदा की प्री–बिड बैठक दिनांक 26.12.2011 निर्धारित है।

5– निविदा के अन्य नियम एवं शर्ते कार्यालयीन समय में आकर देखी जा सकती है।

6– कार्य संबंधी विवरण एवं निविदा की शर्ते आदि अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में देखी जा सकती है। विस्तृत सूचना वेबसाईट Datia.nic.in पर भी प्रदर्शित है।

7– पूर्ण निविदा प्रस्ताव दिनांक 30.12.2011 को अपरान्ह् 03:00 बजे तक स्वीकार किये जायेगें तथा उसी दिन अपरान्ह 03:30 बजे कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दतिया या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रथमतः अमानत राशि के प्रस्ताव खोले जावेंगे। मात्र, पात्र अमानत राशि दाता के ही तकनीकी प्रस्ताव 30.12.2011 को अपरान्ह् 03:30 बजे अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में खोले जावेगें ।

8– ठेकेदार द्वारा प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि की जमा फिक्स डिपोजिट प्रदत्त करना अनिवार्य होगा। पूर्व में निविदाओं की राशि समायोजित नही की जावेगी यह राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैक से जमा फिक्स डिपोजिट जो कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दतिया के पक्ष में देय होना चाहिये तथा कार्यावधि के लिये जमा हो, मान्य की जावेगी।

9– तकनीकी प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने वाले निविदाकारों के वित्तीय प्रस्तावों को दिनांक 30.12.2011 को 03:30 बजे कार्यालय में खोले जावेगे। निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

10– कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नही होगी ।

11– अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

12– कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा दस्तावेजों मे उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावे।

13– निर्माण कार्यो के स्पेसिफिकेशन में फेरबदल करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर कर्ता को होगा ।

14– विभाग द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा।

15– निविदा से संबंधित किसी भी तरह के विवाद पर सक्षम अधिकारी (अधोहस्ताक्षरकर्ता) का निर्णय अंतिम होगा।

16– श्रम संविदा एक्ट के अंतर्गत जीवित लेबर लायसेन्स प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तर दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।

17– संबंधित ठेकेदार का ऊर्जा विभाग / लायसेन्स बोर्ड से विद्युतीकरण कार्य का सक्षम श्रेणी का बैद्य पंजीयन होना अथवा विद्युतीकरण (बिजली) कार्य हेतु सक्षम श्रेणी के वैद्य पंजीयन धारी लायसेंन्सी ठेकेदार से संबंधित तदाशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

18– निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरलर) आर.सी.सी. डिजाइन का अनुमोदन कार्य संपादन के पूर्व ठेकेदार द्वारा संबंधित कार्यपालन यंत्री से कराया जाना होगा।

19– कार्य के प्राक्कलन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 12.04.2010 से लागू एवं निविदा सूचना दिनांक तक संशोधित एस.ओ.आर. पर बनाये गये है यदि ठेकेदार की निविदा दरें इस कार्य हेतु प्रचलित एस.ओ.आर. से असंतुलित अर्थात् एस.ओ. आर. से कम प्रतिशत पर प्राप्त होती है। तो प्रचलित एस.ओ.आर. दर पर कार्य की लागत एवं ठेकेदार की दरों पर कार्य की लागत के अंतर की 25 प्रतिशत राशि अतिरिक्त सुरक्षा निधि के रूप में (जो बैक गारंटी के रूप में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दतिया के पक्ष में देय होना चाहिये) कार्य पूर्णतः तक करानी होगी। निविदा कारों के साथ दिनांक 26.12.2011 समय अपरान्ह् 03:30 बजे प्री–बिड मीटिंग कार्यालय में होगी। जिसमें निविदा कारों की जिज्ञासा प्रश्न के संबंध में निर्णय लिये जावेगे।

20– निर्माण कार्यो हेतु परफार्मेन्स एवं डिफेक्ट लायबिलिटी की गारंटी अवधि कार्य की वास्तविक पूर्णतः तिथि के पश्चात् 24 माह तक रहेगी। गारंटी अवधि में चल देयकों से सुरक्षा जमा के रूप में चल देयकों से काटी गई 5 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त डिफेक्ट लायविलिटी के रूप में 5 प्रतिशत राशि का कटौत्रा किया जावेगा इस प्रकार कुल 10 प्रतिशत राशि ठेकेदार के देयकों से काटी जावेगी। कार्य के अंतिम देयक के भुगतान के उपरांत रोकी गई 10 प्रतिशत राशि में से 5 प्रतिशत राशि ठेकेदार को भुगतान की जावेगी। शेष 5 प्रतिशत राशि डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि (24 माह की पूर्णता पर) के बाद देय होगी। यदि इस अवधि में निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से सुधार कर कराया जावेगा। ठेकेदार को लिखित में सूचित करने के 15 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा कार्य न कराये जाने पर प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार की रिश्क एण्ड कॉस्ट पर, अन्य कर्मकारों द्वारा सुधार कराया जाकर सुधार कार्य पर होने वाले वास्तविक व्यय की राशि (जिस बावत् प्रभारी अभियंता का प्रमाण पत्र अंतिम होगा) उपरोक्तानुसार ठेकेदार की जमा राशि में से समायोजित

कर ली जावेगी । दो वर्ष के पश्चात् प्रभारी अभियंता के द्वारा निरीक्षण में निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद पाये जाने पर ठेकेदार से बसूली योग्य राशि के समायोजन पश्चात् शेष जमा राशि ठेकेदार को वापिस की जावेगी यदि सुधार कार्य के व्यय की राशि ठेकेदार की जमा राशि से अधिक रहती है तो अंतर की राशि उससे बकाया भू–राजस्व / नगद प्रतिभूति के रूप में वसूल की जावेगी।

21– एक निविदाकार या एक फर्म के द्वारा कार्य की एक से ज्यादा निविदा प्रस्तुत नही की जावेगी। प्रत्येक कार्य के लिये निविदाकार के द्वारा पृथक से निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

22– यदि एक से अधिक फर्म में कोई ठेकेदार, पार्टनर अथवा प्रोप्राइटर है तो एक ही फर्म के माध्यम से कार्य के लिये निविदा प्रस्तुत कर सकेगा । एक से ज्यादा निविदा प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

23– ऐसे ठेकेदार जिन्होंने शासकीय विभागों अथवा शासकीय उपक्रमों में गत तीन वर्षो में से किसी भी एक वर्ष में रूपयें 25 लाख मूल्य का एक भवन निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक संपादित किया हो, निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे ।

टीपः– यह अनुबंध का एक हिस्सा है।

Chaturvedi 29/11/11

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दतिया
संभाग दतिया

पृष्ठ0 कमांक / 2075 / ग्रा.यां.से. / वलेलि. / 2011–12 दतिया दिनांक 29-11-11

प्रतिलिपि,

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम टी.सी.–चार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2– मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल म.प्र.।
3– आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर ।
4– कलेक्टर, जिला दतिया।
5– अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल ग्वालियर।
6– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया ।
7– अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग दतिया / सेवढा।
8– सहायक यंत्री, मनरेगा जनपद पंचायत दतिया / सेंवढा / भाण्डेर।
9– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दतिया / सेंवढा / भाण्डेर।
10–तकनीकी शाखा समस्त आडीटर लेखा शाखा दतिया।
11–कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

Chaturvedi 29/11/11

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दतिया
संभाग दतिया